[19/3/2020]

क्रम सं. [क 1192]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY GOVT. OF M.P. INDIA

MADHYA PRADESH 29AA 318707

अनुबंध

यह अनुबंध प्रतिपादन दिनांक से आगामी 5 वर्षों के लिए रहेगा।

आज दिनांक 25. 11. 2019 को निम्न दो पक्षों के मध्य यह अनुबंध किया जा रहा है।

अनुबंध कर्ता (एक)- जिला वाल संरक्षण अधिकारी /जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदा मध्य प्रदेश।

अनुबंध कर्ता (दो)- श्री राजेश खोदरे संचालन प्रमुख दध्यंग श्रद्धा शिक्षण समिति कमताडा तह.जिला हरदा

-अनुबंध की शर्तें-

1. यह अनुबंध प्रतिपादन दिनांक से प्रवर्तनी होगा।
2. किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 की धारा 41 एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के नियम 24(3) के अनुसार गृह की मान्यता 5 वर्ष की अवधि हेतु रहेगी ,कार्य अच्छा पाए जाने पर मान्यता का नवीनीकरण वार्षिक समीक्षा के आधार पर किया जाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा संस्था द्वारा मान्यता के नवीकरण के जाने संबंधी प्रस्ताव 6 माह पूर्व भिजवाए जाएंगे।
3. समेकित वाल संरक्षण योजना किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 एवं केंद्रीय किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण)नियम 2016 एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के प्रावधानों अनुसार गृह का संचालन किया जाएगा।
4. गृह में किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम के तहत निर्धारित प्रकृति के गृह के बच्चे ही रखे जाएंगे। समस्त देखरेख और संरक्षण वाले बच्चे वाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्था में प्रवेश होंगे।
5. केंद्रीय किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 81 के तहत वाल कल्याण समिति द्वारा आदेशित किए जाने पर बच्चों को गृह में रखना अनिवार्य होगा।
6. समेकित वाल संरक्षण योजना के नियम 60(2) के अनुसार किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम में निर्धारित प्रपत्र अनुसार जानकारी माह की समाप्ति पर अगले माह की 5 तारीख तक जिला कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे। 7. संस्था को विभिन्न वेबसाइट कारा , ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल, अनमोल पर समय पर प्रविष्टि करवाना अनिवार्य होगा।
8. किशोर न्याय(वालकों की देखरेख और संरक्षण)नियम 2016 के नियम 53 एवं समेकित वाल संरक्षण योजना निधि प्रवाह 57(iv) गृह की प्रकृति के अनुसार समस्त लेखा-जोखा रखा जाएगा।

30-1-2020

VINOD KUMAR SARAI
ADVOCATE & NOTARY
HARDA (M.P.) INDIA

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-हरदा

संचालक/अधीक्षक
बालगृह दध्यंग शिक्षण समिति जिला-हरदा

ICPS

30/1/2020

11/3/2020
अनुभाग अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये Rs. 20 रु. 20
TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

9. किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 75 के अनुसार किसी बच्चे की मृत्यु हो जाने पर तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाएगी एवं अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार इस संबंध में कार्यवाही संपादित की जाएगी।

10. मान्यता प्राप्त गृह राज्य /केंद्र शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अधीन होगा।

11. संस्था से संबंधित आंकड़े /बच्चों की जानकारी/ लेखा संबंधी जानकारी या अन्य कोई जानकारी जिला /संचालनालय के द्वारा मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगी।

12. अधिनियम की धारा 54 के अनुसार निरीक्षण दल/ जिला प्रशासन /संचालनालय द्वारा मांगे जाने पर वित्तीय /प्रवेश /मुक्ति /अन्य संधारित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 29 से 40 अनुसार संस्था की अवसंरचना ,मूलभूत सामग्री एवं अन्य व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा

14. किशोर न्याय नियम 21 अनुसार संस्था द्वारा घोषणा पत्र में की गई घोषणा एवं प्रारूप 27 अनुसार व्यवस्था संस्था में नहीं पाई जाती है तो संस्था के विरुद्ध झूठा घोषणा पत्र देने एवं नियमानुसार व्यवस्था नहीं किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

15. दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के नियम 25(ट) के नियमानुसार जैविक माता- पिता या अभिभावकों वाले बच्चे के विषय में गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक रूप से सूचना प्रकट करने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

16. संस्था के द्वारा राजनैतिक/ धार्मिक/ जातिगत /जुलूस या अन्य मसलों में बच्चों को सम्मिलित न किया जाए।

17. यदि संस्था द्वारा अनियमितताएं अनुदान का दुरुपयोग तथा संबंधित रिकार्ड का उचित संधारण ना होने एवं को कुप्रथाओं का पालन संस्था में किया जा रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

18. निम्न स्थिति में :-

(1) राज्य, जिलो एवं ऑनलाइन में झूठी सूचना देना एवं समय पर जानकारी न देने पर।

(2) बाल देखरेख गुणवत्ता और मूल संरचना पर निरीक्षण दल , कलेक्टर ,बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त होने पर।

(3) यदि व्यावसायिक, सामाजिक कार्यकर्ता और योग्य बाल अधिकारी/ कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाने पर।

संस्था में नियुक्त कर्मचारी का पुलिस सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

30-6-2020
VINOD KUMAR SARAF
ADVOCATE & NOTARY
HARDA (M.P.) INDIA

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-हरदा

संचालक/अधीक्षक
बालगृह दध्यांग शिक्षण
समिति, जिला-हरदा

17/3/2020
अनुभाग अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये | TEN RUPEES | Rs. 10 | INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 7AAA 206604

(4) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 की धारा 74 के तहत समाचार पत्र/ दृश्य माध्यमों या किसी अन्य साधन से बच्चों की फोटो /कार्यस्थल /विद्यालय का नाम/ परिवार का पता/ गृह में आने का कारण या अन्य कोई निजी जानकारी सार्वजनिक किए जाने पर।

(5) संस्था के विरुद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों के प्रभावी होने पर।

(6) संस्था के विरुद्ध दायर प्रकरण जालसाजी आरोपों के सिद्ध हो जाने पर।

(7)किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 73, 76,80,82, 86,88 के तहत संस्था के बच्चों के शोषण /मारपीट/ कँमरे में बंद रखना /मानसिक या शारीरिक एवं आंशिक या पूर्ण क्षति पहुंचाने पर।

(8) बर्ल्ड ट्रैफिकिंग की स्थिति में।

उक्त अनुसार स्थितियों में एवं क्रमांक 1 से 18 तक की शर्तों का पालन न करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए संस्था का पंजीयन/ मान्यता समाप्त की जाएगी।

दिनांक – 25.11.2019

मै दस्तावेज निष्पादक को पहचानता हूँ उसने मेरे समक्ष, समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी की।

हस्ताक्षर

श्री संजय त्रिपाठी
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला बाल संरक्षण अधिकारी /जिला कार्यक्रम अधिकारी
हरदा मध्य प्रदेश

गवाह 1- हस्ताक्षर

नाम – जितेन्द्र शर्मा

पता –

गवाह 2- हस्ताक्षर पदमराजपूत

मै दस्तावेज निष्पादक को पहचानता हूँ उसने मेरे समक्ष, समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी की।

नाम – पदमराजपूत

पता –

संचालक/अधीक्षक
बालगृह दध्यंग शिक्षण समिति, जिला-हरदा
संचालन प्रमुख दध्यंग श्रद्धा शिक्षण समिति,कमताडा

Signed Before Me
30-1-2020
VINOD KUMAR SARAF
ADVOCATE & NOTARY
HARDA (M.P.) INDIA

NOTARY GOVT. OF M.P. (INDIA)

HARDA (M.P.)

अनुभाग अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

Scanned with CamScanner